रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274754
CG-DL-E-24072026-274754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3840] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948
No. 3840] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4010(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ) तारीख 14.05.2026 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (Yet to be Assigned) के किमी. 0.000 से किमी.19.000 (चंडीगढ़-राजपुरा-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के साथ जंक्शन से शुरू होकर जीरकपुर-परवाणू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 तक समाप्त) साथ ही कनेक्टिंग यमुनानगर-पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-344 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "20/05/2026 " को "हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेज़ी)" और " दैनिक भास्कर (हिन्दी)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (Yet to be Assigned) के किमी. 0.000 से किमी.19.000 (चंडीगढ़-राजपुरा-पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -7 के साथ जंक्शन से शुरू होकर जीरकपुर-परवाणू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 तक समाप्त) साथ ही कनेक्टिंग यमुनानगर-पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-344 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: पंचकूला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पंचकूला					
गांव का नाम: खरक मंगोली					
1	148	सरकारी	गैर मुमकिन सड़क	0.3836	केन्द्रीय सरकार
2	149 मिन	सरकारी	गैर मुमकिन सड़क	0.0927	केन्द्रीय सरकार
3	149 मिन	सरकारी	गैर मुमकिन मकान	0.0126	केन्द्रीय सरकार
4	149 मिन	सरकारी	गैर मुमकिन मकान	0.0084	केन्द्रीय सरकार
5	149 मिन	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट, दुकान	0.0843	केन्द्रीय सरकार
6	150	निजी	खेल का मैदान	0.0253	जनैन्द्र गुरूकूल पन्चकूला बहितमाम रुपलाल पुत्र सोभा राम
7	151	निजी	गैर मुमकिन मकान	0.0126	जनैन्द्र गुरूकूल पन्चकूला बहितमाम रुपलाल पुत्र सोभा राम
8	154	सरकारी	गैर मुमकिन	0.0253	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
9	155/1	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट	0.0253	प्रांतीय सरकार
10	155/2/2	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट	0.0379	प्रांतीय सरकार
11	191/2	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट	0.0211	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
12	299/143/1/1	सरकारी	गैर मुमकिन प्लॉट	0.0042	प्रांतीय सरकार
13	299/143/1/2	सरकारी	गैर मुमकिन मकान	0.3836	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
			Total	**1.1169**	

[फा. सं. LA/11013/LA/LAC MOM/2021(computer no. 77470/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4010(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O No. 2495(E) dated 14.05.2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of Zirakpur Bypass National Highway No. (Yet to be Assigned) Km. 0.000 to Km. 19.000 (Starting from the junction with Chandigarh –Rajpura –Patiala NH-7 and ending at Zirakpur-Parwanoo NH-5) along with connecting between Yamunanagar – Panchkula NH-344 and NH-5 in the district of Panchkula in the state of Haryana.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Hindustan Times (English)" and " Dainik Bhaskar (Hindi)" both dated 20/05/2026 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in Zirakpur Bypass National Highway No. (Yet to be Assigned) Km. 0.000 to Km. 19.000 (Starting from junction with Chandigarh – Rajpura –Patiala NH-7 and ending at Zirakpur- Parwanoo NH-5) along with connecting between Yamunanagar – Panchkula NH-344 and NH-5 in the district of Panchkula in the state of Haryana.

State: HARYANA			**District: PANCHKULA**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Panchkula					
Village: Kharak Mangoli					
1	148	Government	G.M. Sadak	0.3836	Central Government
2	149 Min	Government	G.M. Sadak	0.0927	Central Government
3	149 Min	Government	G.M. Makaan	0.0126	Central Government
4	149 Min	Government	G.M. Makaan	0.0084	Central Government
5	149 Min	Government	G.M. Plot, Dukaan	0.0843	Central Government
6	150	Private	Khail ka Maidan	0.0253	Janendra Gurukul Panchkula Bahitmam Ruplal son of Sobha Ram
7	151	Private	G.M. Makaan	0.0126	Janendra Gurukul Panchkula Bahitmam Ruplal son of Sobha Ram

8	154	Government	G.M.	0.0253	Haryana sahri vikas pradhikarn
9	155/1	Government	G.M. Plot	0.0253	Prantiya Sarkar
10	155/2/2	Government	G.M. Plot	0.0379	Prantiya Sarkar
11	191/2	Government	G.M. Plot	0.0211	Haryana sahri vikas pradhikarn
12	299/143/1/1	Government	G.M. Plot	0.0042	Prantiya Sarkar
13	299/143/1/2	Government	G.M. Makaan	0.3836	Haryana sahri vikas pradhikarn
			Total	**1.1169**	

[F. No. LA/11013/LA/LAC MOM/2021(computer no. 77470/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.24 15:30:54 +05'30'